न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

म अपील संख्या 70/2021
रान खत्री पुत्र मनीर खान मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं 333001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 09.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.04.2021 को ऑनलाईन किया गया प्रा0प0 इस न्यायालय में दिनांक 27.04.2021 को प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 70/2021 पर दिनांक 27.04.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1252–53 दिनांक 27.04.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर ने पत्रांक सू0अ0/2021/45 दिनांक 11.05.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी इमरान खत्री द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2020 द्वारा तहसीलदार मलसीसर से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसकी सूचना प्रार्थी को नही मिलने पर प्रथम अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2020 द्वारा इस कार्यालय मे प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक सू0अ0/2021/8189 दिनांक 24.03.2021 द्वारा प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था कि प्रथम अपील अधिकारी की शक्तियां श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार मे है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रार्थी ने लिखित मे दिनांक 27.05.2021 को एक प्रा0प0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2021/45 दिनांक 11.05.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी इमरान खत्री द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2020 द्वारा तहसीलदार मलसीसर से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसकी सूचना प्रार्थी को नही मिलने पर प्रथम अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2020 द्वारा उनके कार्यालय मे प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक सू0अ0/2021/8189 दिनांक 24.03.2021 द्वारा प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था कि प्रथम अपील अधिकारी की शक्तियां श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं के क्षेत्राधिकार मे है। इससे जाहिर है कि लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर के स्तर से सूचना उपलब्ध

A

जिला कलक्टर झुंझुनूं

या जाना वांछित था। अतः ... दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सू...
लदार मलसीसर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई ...
ल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।
र्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य
ना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं
09/06/21